



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 2000/माघ 18, 1921

No. 80]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 2000/MAGHA 18, 1921

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2000

सा. का. नि. 91(अ).— केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 §1985 का 13§ की धारा 35 की उपधारा §1§ और उपधारा §2§ के संड §स§ के साथ पठित धारा 9 की उपधारा §3§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--§1§ इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशासनिक अधिकरण §अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के फदाचार या असमर्थता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया§ नियम, 2000 है ।

§2§ ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होने का विस्तार -- ये नियम उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्यों के प्रशासनिक अधिकरणों और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण के प्रत्येक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासनिक सदस्य और न्यायिक सदस्य को लागू होंगे ।

3. परिभाषाएं --§1§ इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

§क§ "अधिनियम" से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 §1985 का 13§ अभिप्रेत है ;

§ख§ "प्रशासनिक सदस्य" से उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, यथास्थिति राज्यों के प्रशासनिक अधिकरणों और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण का वह सदस्य जो धारा 3 के संड §1§ के अर्थात्गत न्यायिक सदस्य नहीं है ;

§ 7। "अध्यक्ष" से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है और इसमें धारा 7 के अनुसार अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है ;

§ 8। "समिति" से नियम 4 के उपनियम 12। में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है ;

§ 9। "न्यायाधीश" से राष्ट्रपति द्वारा नियम 5 के उपनियम 12। के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश अभिप्रेत है ;

§ 10। "न्यायिक सदस्य" से उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है जो धारा 6 की उपधारा 3। में विनिर्दिष्ट कोई अर्हताएं रखता है ;

§ 11। "सदस्य" से अधिकरण का कोई सदस्य न्यायिक या प्रशासनिक। अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मिलित है ;

§ 12। "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

§ 13। "अधिकरण" से उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण या राज्य प्रशासनिक अधिकरण या कोई संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है ;

§ 14। "उपाध्यक्ष" से अधिकरण का कोई उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

12। उन शर्तों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 1985 का 13। में परिभाषित हैं वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

4. शिकायतों के अन्वेषण के लिए समिति --11। यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई लिखित शिकायत प्राप्त की जाती है जिसमें किसी सदस्य के संबंध में कदाचार या अपने पद के कृत्यों का निष्पादन करने में असमर्थता के निश्चित आरोप अभिकथित किए गए हों तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक छानबीन करेगी ।

12। यदि प्रारंभिक छानबीन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार अभिकथन का अन्वेषण करना आवश्यक समझती है तो वह उस शिकायत को, उपलब्ध समर्थक सामग्री सहित शिकायत में किए गए अभिकथनों के आरोपों का अन्वेषण करने के लिए समिति के समक्ष रखेगी जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

- § 11 § मंत्रिमण्डल सचिव - अध्यक्ष ;
 § 11 § सचिव, कर्मिक, लोक-शिक्षण और पेंशन मंत्रालय - सदस्य ;
 § 11 § सचिव, विधि कर्म विभाग, विधि, न्याय और कंपनी - सदस्य ;
 कर्म मंत्रालय

§ 3 § समिति अन्वेषण के लिए प्रक्रिया और पद्धति स्वयं सोजेगी जिसमें परिवारी का साक्ष्य अमिलित्वित करना और इन नियमों के अधीन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की जाने वाली जांच से सुसंगत सामग्री का संग्रहण भी सम्मिलित है ।

§ 4 § समिति अपने निष्कर्ष राष्ट्रपति को, यथासंभवशीघ्र, राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी ।

5, न्यायाधीश का जांच करना -- § 11 § यदि राष्ट्रपति की यह राय हो कि किसी सदस्य पर कदाचार या असमर्थता के अभ्यारोपण के सत्य की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं तो वे, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को एक निर्देश करेंगे जिसमें यह अनुरोध होगा कि जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को नामनिर्दिष्ट किया जाए ।

§ 2 § राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा जांच करने के प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे ।

§ 3 § उपनियम § 2 § के अधीन न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना संबंधित सदस्य को दी जाएगी ।

§ 4 § राष्ट्रपति, उक्त न्यायाधीश को निम्नलिखित की एक प्रति भेजेंगे --

- § क § संबंधित सदस्य के विरुद्ध आरोप की मर्तें और अभ्यारोपण का कथन ;
 § ख § साक्षियों का कथन, यदि कोई हो ; और
 § ग § जांच से सुसंगत तात्विक दस्तावेज ।

§ 5 § उपनियम § 2 § के अधीन नियुक्त किया गया न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए समय या अतिरिक्त समय के भीतर जांच पूर्ण करेगा ।

§ 6 § संबंधित सदस्य को, न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाने वाले समय के भीतर प्रतिरक्षा का एक लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

§ 7 § जहां यह अभिकथित है कि संबंधित सदस्य किसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है और उस अभिकथन से

इंकार किया जाता है, तो न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किए जाने वाले चिकित्सा बोर्ड द्वारा सदस्य की चिकित्सीय परीक्षा का प्रबंध करेगा और संबंधित सदस्य, न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाने वाले समय के भीतर ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा।

§ 8§ चिकित्सा बोर्ड सदस्य की आवश्यक समझी जाने वाली चिकित्सीय परीक्षा करेगा और न्यायाधीश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें यह कथित होगा कि क्या असमर्थता ऐसी है जिससे सदस्य अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है।

§ 9§ यदि सदस्य ऐसी चिकित्सीय परीक्षा करवाने से इंकार करता है जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझी जाए तो बोर्ड, न्यायाधीश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें यह कथित होगा कि सदस्य ने कौन सी परीक्षा करवाने से इंकार किया है और न्यायाधीश, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह उपधारणा बनाएगा कि सदस्य उस शारीरिक या मानसिक असमर्थता से पीड़ित है जो सदस्य में अभ्यारोपित है।

§ 10§ न्यायाधीश, सदस्य के लिखित कथन और चिकित्सीय रिपोर्ट, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् उपनियम § 5§ के खण्ड § क§ में निर्दिष्ट आरोपों में संशोधन कर सकेगा और ऐसी दशा में, सदस्य को प्रतिरक्षा का एक नया लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

§ 11§ केन्द्रीय सरकार सदस्य के विरुद्ध मामला प्रस्तुत करने के लिए उस सरकार का कोई अधिकारी या एक अधिकता नियुक्त करेगी।

§ 12§ जहाँ केन्द्रीय सरकार ने अपना मामला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई अधिकता नियुक्त किया हो, वहाँ संबंधित सदस्य को भी उसके द्वारा चयनित किसी अधिकता द्वारा उसका मामला प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

6. विभागीय जांच § सक्षियों का हजिर कराना तथा वस्तावेज पेश कराना। अधिनियम, 1972 का इन नियमों के अधीन जांचों को लागू होना — विभागीय जांच § सक्षियों का हजिर कराना तथा वस्तावेज पेश कराना। अधिनियम, 1972 § 1972 का 18§ के उपबंध इन नियमों के अधीन की गई जांचों को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे विभागीय जांचों को लागू होते हैं।

7. न्यायाधीश की शक्तियाँ—न्यायाधीश, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 § 1908 का 5§ द्वारा अधिकृत प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों से मार्गदर्शित होगा और उसे अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी जिसमें जांच के स्थान और समय का नियत करना भी है।

8. सदस्य का निर्वाचन—नियम 4 में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी और उक्त नियम के अनुसार किए गए किसी कार्य पर प्रतिवृत्त प्रभाव वाले बिना राष्ट्रपति, आरोपों की गंभीरता को दृष्टि में रखते हुए अधिकरण के उस सदस्य को जिसके विरुद्ध कोई शिक्कयत अन्वेषण या जांच के अधीन हैं, निलंबित कर सेंगे ।

9. निर्वाह मत्ता -- किसी निलंबित सदस्य को निर्वाह मत्ते का संवाय, अखिल भारतीय सेवा के भारत सरकार के सचिव को तत्समय लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

10. जांच रिपोर्ट—अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात्, न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें आरोपों की प्रत्येक मव पर उसके निष्कर्ष और उनके लिए कारण प्रयुक्त-प्रयुक्त कथित होंगे और संपूर्ण केस पर ऐसे संप्रेक्षण होंगे जो वह उचित समझे ।

[फा. सं. ए-11013/10/98-ए.टी.]

आर. के. टण्डन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2000

G. S. R. 91(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 read with sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Administrative Tribunals (Procedure for investigation of misbehaviour or incapacity of Chairmen, Vice-Chairmen and other Members) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Extent of application.—These rules shall be applicable to every Chairman, Vice-Chairman, Administrative Member and Judicial Member of the Central Administrative Tribunal, Administrative Tribunals for States and Joint Administrative Tribunal for two or more States established under the Act.

3. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);

(b) “Administrative Member” means a Member of the Central Administrative Tribunal, Administrative Tribunal for a State or, as the case may be, of a Joint Administrative Tribunal for two or more States established under the Act who is not a Judicial Member within the meaning of clause (i) of section 3;

(c) “Chairman” means a Chairman of a Tribunal and includes a Vice-Chairman authorised to act as the Chairman in accordance with section 7;

(d) “Committee” means the Committee referred to in sub-rule (2) of rule 4;

(e) “Judge” means a sitting Judge of the Supreme Court appointed by the President under sub-rule (2) of rule 5 to conduct the inquiry;

(f) “Judicial Member” means a Member of a Tribunal appointed as such under the Act, and includes the Chairman or a Vice-Chairman who possesses any of the qualifications specified in sub-section (3) of section 6;

(g) “Member” means a Member (whether Judicial or Administrative) of a Tribunal, and includes a Chairman and a Vice-Chairman;

(h) “section” means a section of the Act;

(i) “Tribunal” means the Central Administrative Tribunal or a State Administrative Tribunal or a Joint Administrative Tribunal established under the Act;

(j) “Vice-Chairman” means a Vice-Chairman of a Tribunal.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) shall have the meaning respectively assigned to them in that Act.

4. Committee for investigation of complaints.—(1) If a written complaint, alleging any definite charges of misbehaviour or incapacity to perform the functions of the office in respect of a Member, is received by the Central Government, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If, on preliminary scrutiny, the Central Government considers it necessary to investigate into the allegation, it shall place the complaint together with supporting material as may be available, before a Committee consisting of the following officers to investigate the charges of allegations made in the complaint:-

(i) Cabinet Secretary - Chairman;

(ii) Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions - Member;

(iii) Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice and Company Affairs - Member.

(3) The Committee shall devise its own procedure and method of investigation which may include recording of evidence of the complainant and collection of material relevant to the inquiry which may be conducted by a Judge of the Supreme Court under these rules.

(4) The Committee shall submit its findings to the President as early as possible within a period that may be specified by the President in this behalf.

5. Judge to conduct inquiry.-(1) If the President is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any imputation of misbehaviour or incapacity of a Member, he shall make a reference to the Chief Justice of India requesting him to nominate a Judge of the Supreme Court to conduct the inquiry.

(2) The President shall, by order, appoint the Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India for the purpose of conducting the inquiry.

(3) Notice of appointment of a Judge under sub-rule (2) shall be given to the Member concerned.

(4) The President shall forward to the Judge a copy of -

- (a) the articles of charges against the Member concerned and the statement of imputations;
- (b) the statement of witnesses, if any ; and
- (c) material documents relevant to the inquiry.

(5) The Judge appointed under sub-rule (2) shall complete the inquiry within such time or further time as may be specified by the President.

(6) The Member concerned shall be given a reasonable opportunity of presenting a written statement of defence within such time as may be specified in this behalf by the Judge.

(7) Where it is alleged that the Member concerned is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity and the allegation is denied, the Judge may arrange for the medical examination of the Member by such Medical Board as may be appointed for the purpose by the President and the Member concerned shall submit himself to such medical examination within the time specified in this behalf by the Judge.

(8) The Medical Board shall undertake such medical examination of the Member as may be considered necessary and submit a report to the Judge stating therein whether the incapacity is such as to render the Member unfit to continue in office.

(9) If the Member refuses to undergo such medical examination as considered necessary by the Medical Board, the Board shall submit a report to the Judge stating therein the examination which the Member has refused to undergo, and the Judge may, on receipt of such report, presume that the Member suffers from such physical or mental incapacity as is alleged in the Member.

(10) The Judge may, after considering the written statement of the Member and the Medical Report, if any, amend the charges referred to in clause (a) of sub-rule (5) and in such a case, the Member shall be given a reasonable opportunity of presenting a fresh written statement of defence.

(11) The Central Government shall appoint an officer of that Government or an advocate to present the case against the Member.

(12) Where the Central Government has appointed an advocate to present its case before the Judge, the Member concerned shall also be allowed to present his case by an advocate chosen by him.

6. Application of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972 to inquiries under these rules.-The provisions of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), shall apply to the inquiries made under these rules as they apply to departmental inquiries.

7. Powers of Judge.-The Judge shall not be bound by the procedure to be laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of his inquiry.

8. Suspension of Member.- Notwithstanding anything contained in rule 4 and without any prejudice to any action being taken in accordance with the said rule, the President, keeping in view the gravity of charges may suspend the Member of the Tribunal against whom a complaint is under investigation or inquiry.

9. Subsistence allowance.- The payment of subsistence allowance to a Member under suspension shall be regulated in accordance with the rules and orders for the time being applicable to a Secretary to the Government of India belonging to the Indian Administrative Service.

10. Inquiry Report.- After the conclusion of the investigation, the Judge shall submit his report to the President stating therein his findings and the reasons therefor on each of the articles of charges separately with such observations on the whole case as he thinks fit.

[No. A-11013/10/98-AT]

R. K. TANDON, Jt. Secy.